

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

संख्या :- 110/2023

भूली देवी बनाम लल्लू

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
17.05.2023	<p>प्रार्थी की और से वकील श्री मुकेश मामोडिया में यह अतर्गत धारा 212 आरटीए न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 19.06.2023 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जावेगा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित करने व नवनिर्माण करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए आगामी आदेश तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रूप से इस आशय की जारी की जाती है। कि अप्रार्थीगण ग्राम डाहर के नया खाता संख्या 91 के खसरा नंबर 16, 17, 21, 39 कुल किता 04 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम डाहर पटवार हल्का डाहर तहसील चाकसू का आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। स्थगन राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तों के अमल दरामद/राको रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीयों की नोटिस की तामील की सामान्य एवं साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण की स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार युक्तियुक्त निर्णय कराने के लिए हर संभव यत्न करें अन्यथा अंतरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकट कर दी जावेगी।</p> <p>पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 19.06.2023 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू(जयपुर)

19/6/23

पत्रावली आज दिनांक 19/6/23 तलब होकर
राजस्व तलब 5162 में पेश हुआ।
यादी एवं पत्रावली स्वयं नया वकील उपस्थित/
अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 19/6/23 को पेश हो।

3 पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ तलब की गई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उप. हो वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी ने दावा विज्ञे देने के कारण प्र. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विज्ञे हेतु स्टेपाने पर प्र. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विज्ञे (न्यायिक) किया जाता है। प्र. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विज्ञे देने के न्यायालय का पूर्व स्वयं आदेश दिनांक 17/5/23 का पत्रावली न हो गमा। पत्रावली वाद तल्लील दामिल पत्रावली
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

72 आर्ग नहीं चलाना चाहिए
डॉ. नरेश कुमार

Zd by
M. K. M. M.